HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 831/2024

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 424/2020

Sultan S/o Mohan Singh, Aged About 50 Years, R/o Hasansul Police Station Hasansul District Wardhaman (W.b) At Present Near Maharana Pratap Park, Police Station Kunhadi, Kota (Raj) (At Present Confined In Central Jail, Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Govind Prasad Rawat
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

17/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **सुल्तान** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (पोक्सो), क्रम–4, कोटा** द्वारा स्पेशल सैशन प्रकरण संख्या–**532/2018, सरकार बनाम सुल्तान** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **16.12.2019** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 13.06.2018 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि करीब साढ़े आठ वर्ष की हो चुकी है, उनका यह भी तर्क रहा है कि इस अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों वितर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थी की अभिरक्षा अवधि तथा प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दि. **17.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, वह उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **सुल्तान पुत्र श्री मोहन सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /14